"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 217] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 3 सितम्बर 2002—भाद्र 12, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-9/2002/वाक/पांच (96).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) (बाद में अधिनियम के रूप में उल्लेखित) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कालम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 31-3-2003 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	माल का वर्ग (2)	छूट की सीमा (3)
1.	एयर-कंडीशनर और रेफ्रीजरेटर	अंशत: इस प्रकार जिससे धारा 9 के अधीन कर की दर घटकर 12 प्रतिशत हो जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2002

क्रमांक एफ-10-9/2002/वाक /पांच (96).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-9/2002/वाक /पांच (96), दिनांक 3-9-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 3rd September 2002

NOTIFICATION

No. F-10-9/2002/CT /V (96).—In exercise of powers conferred by Section 17 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995) (hereinafter referred to as Adhiniyam), the State Government hereby exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Adhiniyam from the date of publication in gazette till 31st March, 2003, to the extent specified in column (3) of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)
1.	Air-conditioners and Refrigerators	Partly so as to reduce the rate of tax u/s. 9 to 12 percent.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.